निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग संस्थान, नई दिल्ली और अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, जे. जे. के समक्ष

निदेशक विद्यालय शिक्षा, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़

-अपीलकर्ता

बनाम

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली और अन्य

-प्रतिवादी

एल. पी. ए. संख्या- 349, 2021

08 जुलाई, 2022

लेटर्स पेटेंट- खंड सेंट कबीर पब्लिक स्कूल को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान घोषित करने वाली संस्था - आयोग ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ स्कूल की शिकायत स्वीकार कर ली और शिक्षा विभाग को स्कूल पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने से रोकने का निर्देश जारी किया - एकल पीठ ने आयोग के आदेश को सही ठहराया. अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में घोषणा के लिए आवेदन लंबित होने के दौरान- संस्थापक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय (सिख) से थे। एसोसिएशन का मूल ज्ञापन - इसे धर्मनिरपेक्ष इकाई घोषित किया गया - किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं की गई और न ही इसका इरादा था और न ही अल्पसंख्यक (सिखों) द्वारा स्थापित होने का दावा

किया गया। क़ानून और संवैधानिक आदेश की आवश्यकता–पूरी नहीं हुई–अपील की अनुमति है।

माना गया कि निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (इसके बाद 'एनसीएमईआई' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी -13) को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। प्रतिवादी नंबर 1, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल-प्रतिवादी नंबर 3 (इसके बाद प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2004 की धारा 2 (जी) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता देना और घोषित करना (इसके बाद '2004 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और आदेश दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नकपी-18) उक्त प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। **जिसे** स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता को स्कूल पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण लागू करने से रोकने का निर्देश जारी किया गया है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2020 के तहत खारिज कर दिया गया है, जो कि चुनौती के तहत दिए गए आदेशों को बरकरार रखता है। इस इंट्रा-कोर्ट अपील में।

इसके अलावा, यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के साथ-साथ 2004 अधिनियम की धारा 2 (जी) के अनुसार, 'स्थापित और प्रशासित' शब्द; अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यकों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाए कि उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि एस. अज़ीज़ बाशा के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया

है। इसलिए, पहला आवश्यक घटक अल्पसंख्यकों द्वारा एक संस्था की स्थापना है, जिस पर संविधान और क़ानून में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का लाभ लेने का दावा किया जाना चाहिए। यह स्थिति, विशेष रूप से तथ्यात्मक पहलुओं पर ऊपर वर्णित है कि यह पहली बार है कि सिख धर्म से संबंधित सदस्यों द्वारा संस्थान की स्थापना एनसीएमईआई-प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष की गई है और वह भी सोसायटी के अध्यक्ष का दिनांक 11.04.2013 का हलफनामा के माध्यम से, यह स्पष्ट करता है कि उक्त तथ्य का उल्लेख एसोसिएशन के ज्ञापन में कभी भी उल्लेख नहीं किया गया था, यहां तक कि उक्त ज्ञापन में संशोधन के चरण में भी जैसा कि यह मूल रूप से था।

अनिल मेहता, वरिष्ठ स्थायी वकील, यू.टी. चंडीगढ़ अपीलकर्ता की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील सुमीत जैन के साथ।

राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ वकील, अर्जुन प्रताप आत्मा राम, वकील और भगौती सिंह, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के लिए।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

(1) निदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (इसके बाद 'एनसीएमईआई' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। प्रतिवादी नंबर 1, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल-प्रतिवादी नंबर 3 (इसके बाद प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2004 की धारा 2 (जी) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता देना और घोषित करना। (इसके बाद '2004 अधिनियम' के रूप में

संदर्भित) और आदेश दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नक पी – 18) उक्त प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत कारण बताओ के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल द्वारा शिकायत की गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी नोटिस को स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता को स्कूल में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण लागू करने से रोकने के लिए निर्देश जारी किया गया है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2020 द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो कि इस इंट्रा-कोर्ट अपील में चुनौती के तहत लागू आदेशों को बरकरार रखता है।

(2) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि एनसीएमईआई-प्रतिवादी नंबर 1 के पास 2004 अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी संस्था/स्कूल को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने के लिए आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि उक्त अधिनियम के धारा 10 के तहत, एक याचिका प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई योग्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामले में निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ है। प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल की ओर से सीधा दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है और एनसीएमईआई द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) बिना अधिकार क्षेत्र के होने के कारण टिक नहीं सकता है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1-एनसीएमईआई द्वारा प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल द्वारा जारी की गई घोषणा वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, जो स्कूल को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है और इसलिए, परिणामी आदेश दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नक पी-18) दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) की घोषणा के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता। वकील का तर्क है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.10.1988 के आवंटन पत्र के

नियमों और शर्तों के अनुसार और इसके अतिरिक्त पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था। (इसके बाद '1952 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए नियम। चूंकि आवंटन के नियमों और शर्तों के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया था कि संस्थान का प्रवेश निर्देश/निर्देशों के अधीन होगा जो निदेशक सार्वजनिक निर्देश (स्कूल/कॉलेज), चंडीगढ़, समय-समय पर जारी कर सकते हैं, प्रतिवादी संख्या 3 -स्कूल इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य था, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए 15% सीटें रखने का आदेश दिया गया था, जो बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (इसके बाद इसे 'शिक्षा अधिनियम, 2009' कहा जाएगा) के अनुसार प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 इस धारणा पर आगे बढ़ा है जैसे कि 2004 अधिनियम **की धारा 22 के** प्रावधान के आलोक में अधिभावी प्रभाव है जो कि गलत है क्योंकि ये दोनों अधिनियम पूरी तरह से अलग क्षेत्र को कवर करते हैं और इनका कोई संबंध नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं। वकील का तर्क है कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को दरकिनार करने के एकमात्र उद्देश्य से प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई से संपर्क किया है, जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 15% सीटें सुरक्षित रखना अनिवार्य और आवश्यक है। स्कूल को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया जाए, भले ही इसकी स्थापना ऐसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं की गई हो। अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि सोसायटी के निगमन के समय या सोसायटी द्वारा प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल की स्थापना के समय, इसे एक धर्मनिरपेक्ष निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त समाज के किसी भी अल्पसंख्यक चरित्र का कोई उल्लेख नहीं था

और न ही यह उल्लेख किया गया था कि यह धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद की तारीख में एसोसिएशन के ज्ञापन में ऐसा समावेश किया गया है और वह भी इसे अल्पसंख्यक संस्थान के दायरे में लाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि इसे 2004 अधिनियम के तहत कवर किया जा सके। उनका कहना है कि प्रारंभ में समाज का गठन और स्थापना 15.09.1976 को एक धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में हुई थी। कबीर एजुकेशन सोसायटी के नाम से पंजीकृत सोसायटी के आधार पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया और सेक्टर 26, चंडीगढ़ में प्लॉट 13.10.1988 को प्रतिवादी नंबर 3-सोसायटी को आवंटित कर दिया गया। स्कूल सत्र 1991 से क्रियाशील हो गया। एसोसिएशन के ज्ञापन में पहला संशोधन, विशेष रूप से समाज की वस्तुओं में 24.12.1994 को किया गया था, जिसमें इसे अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहा गया था, जहां पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति, गुरुओं और पैगंबरों का इतिहास पढ़ाया जाना था, हालाँकि, स्कूल में प्रवेश जाति, पंथ, समुदाय और धर्म के बावजूद सभी के लिए खुला होगा। 31.01.1996 को, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक योजना अधिसूचित की, जिसे 'चंडीगढ़ योजना, 1996 में लीज-होल्ड बेसिस पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल) आदि को भूमि का आवंटन (इसके बाद '1996 योजना' के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। शैक्षणिक संस्थानों को कुल सीटों में से 15% सीटें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित करनी थीं। यह योजना सभी संस्थानों पर उनके आवंटन पत्र के आधार पर लागू की गई थी। शिक्षा अधिनियम, 2009 लागू हुआ जिसे विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई। मामला उच्चतम न्यायालय तक गया, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य1 में शिक्षा अधिनियम, 2009 अधिनियम को बरकरार

रखते हुए निर्देश दिया कि यह अधिनियम इस हद तक लागू नहीं होगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत आने वाले गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाना था। यह निर्णय 12.04.2012 को सुनाया गया था और इसके बाद शिक्षा अधिनियम 2009 की कठोरता से बाहर आने के लिए प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए एनसीएमईआई के समक्ष 2004 अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, सोसायटी के उद्देश्यों से संबंधित एसोसिएशन के ज्ञापन में 31.01.2013 को संशोधन किया गया था, जहां कबीर एजुकेशनल सोसायटी को विशेष रूप से और मूल रूप से चंडीगढ़ में सिख अल्पसंख्यक समुदाय का एक संगठन बताया गया था, जहां उदात्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन, सिख गुरुओं की शिक्षाएं, सिख संस्कृति और सिख इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आगे यह भी शामिल किया गया कि सोसायटी मुख्य रूप से सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों और लड़कियों के हितों की रक्षा करेगी। चंडीगढ़ प्रशासन के जवाब के अनुसरण में प्रतिकृति के रूप में अतिरिक्त हलफनामा स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा दायर किया गया था, जिसमें पहली बार, यह उल्लेख किया गया था कि समाज के शासी निकाय के सदस्य सिख थे और उक्त धर्म का पालन कर रहे थे। यह शपथ पत्र दिनांक 11.04.2013 का है। यह भी स्वीकार किया गया कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान के दायरे में लाने के इरादे से इसमें संशोधन किया जा रहा है। इस आधार पर, यह दावा किया गया है कि एनसीएमईआई-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दी गई घोषणा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 29 और 30 की व्याख्या करते समय निर्धारित कानून के स्थापित सिद्धांत के आलोक में टिकाऊ नहीं है। ने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए

धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित, प्रचारित और संरक्षित करने के इरादे से होना चाहिए। एक संस्था, जिसकी स्थापना अल्पसंख्यक संस्था होने के इरादे से और संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं की गई है, उसे बाद के चरण में अल्पसंख्यक संस्था घोषित नहीं किया जा सकता है। वकील ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तर्क दिया है कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित नहीं किया गया था और न ही स्थापित करने वाले सदस्यों के अल्पसंख्यक समुदाय (सिख) से संबंधित होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था या स्थापित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रदान किए गए उद्देश्य के लिए स्थापित नहीं किया गया था और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। इस प्रकार एनसीएमईआई द्वारा पारित दिनांक 10.09.2014 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है। इस आधार पर, यह आगे कहा गया है कि आगामी आदेश दिनांक 14.03.2017 भी कायम नहीं रह सकता क्योंकि यह पिछले आदेश दिनांक 10.09.2014 से प्रवाहित हो रहा है जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था।

(3) अपीलकर्ता के वकील ने भी यह कहते हुए आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने के लिए स्पष्ट रूप से पैरामीटर निर्धारित करते हैं, का उल्लेख किया गया है, लेकिन समझा नहीं गया है। और इसे सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने से गलत निष्कर्ष निकला, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो इस तरह की घोषणा जारी करने का अधिकार देता हो। इस

प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा आक्षेपित आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

(4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश गलत धारणा पर आगे बढ़े हैं कि परिसीमन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों पर लागू होता है, जो उच्च अदालत को रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करता है। उनका कहना है कि केवल इसलिए कि तीन साल की अवधि के बाद वर्ष 2018 में दिनांक 10.09.2014 के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कुछ देरी हुई, यह अपने आप में इसे खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। रिट याचिका जब एक प्राधिकारी (एनसीएमईआई-प्रतिवादी संख्या 1) की घोषणा पर विचार करने और जारी करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है, जिसका अर्थ है कि चुनौती दिए गए आदेश क़ानून के दायरे से बाहर हैं और प्राधिकारी के न्यायिक दायरे से परे हैं और इस प्रकार, **कानुन में मान्य नही** हैं। किसी भी मामले में, बाद के आदेश को भी चुनौती दी गई है जो दिनांक 14.03.2017 है और रिट फरवरी, 2018 में दायर की गई थी।

(5) श्रीमती सुदामा देवी बनाम आयुक्त एवं अन्य. में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया है। यूपी राज्य एवं अन्य बनाम राज बहादुर सिंह एवं अन्य. में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। रामचंद्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह याद रखना चाहिए कि नियम जो कहता है कि कोर्ट पूछताछ नहीं कर सकता है देर से और पुराने दावों पर विचार करना कानून का नियम नहीं है, बल्कि विवेक के ठोस और उचित प्रयोग पर आधारित अभ्यास का नियम है और ऐसा कोई

अनुल्लंघनीय नियम नहीं है कि जब भी देरी हो, तो न्यायालय को याचिका पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। इस आधार पर, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को आक्षेपित आदेशों की चुनौती को खारिज करने पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर जब देरी को समझाया गया है जिसका उल्लेख विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय में किया गया है। किसी भी मामले में, उनका दावा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला किया है। इस प्रकार विलंब और लापरवाही के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है।

6) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 (चुनाव लड़ रहे) के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दलीलों का जिक्र करते हुए और जोर देते हुए कहा है कि हालांकि एसोसिएशन के प्रारंभिक ज्ञापन में इसके अल्पसंख्यक संस्थान होने के पहलू का उल्लेख नहीं किया गया था। या उसके प्रचार-प्रसार सहित सिख धर्म की संस्कृति और विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, लेकिन बाद में 24.12.1994 और 31.01.2013 के संशोधन के साथ, यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसे इस उद्देश्य और इरादे के लिए एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत प्रदान और संरक्षित किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का समर्थन करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने दावा किया है कि 2004 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत, एक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है, जहां एक नई संस्था बनाई जानी है की स्थापना की और वह भी एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में। उक्त धारा पहले से स्थापित संस्थानों पर

लागू नहीं होगी. वर्ष 2006 में संशोधित 2004 अधिनियम के लागू होने के समय जो संस्थान अस्तित्व में थे, उनके लिए अल्पसंख्यक संस्थान होने की घोषणा जारी करने के लिए एनसीएमईआई को एक आवेदन देना होगा। यह इन परिस्थितियों में है कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्थान होने के संबंध में प्रतिवादी नंबर 3 के समक्ष धारा 11 के तहत घोषणा के लिए एक आवेदन दायर किया है। यह दावा किया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि प्रतिवादी नंबर 3 सोसायटी के संस्थापक सदस्य धर्म से सिख थे और सिख धर्म का पालन कर रहे थे क्योंकि एनसीएमईआई के समक्ष या रिट याचिका में किए गए दावे का कोई खंडन नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधिमान्य किया गया है। उनका कहना है कि किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित की गई संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था होगी, खासकर जब इसे अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित किया जा रहा हो और वह भी सिख धर्म और पंजाबी भाषा के संरक्षण, प्रचार और संवर्द्धन के लिए हो। 31.01.2013 के संशोधन के साथ, सिख अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों, लड़कों और लड़कियों दोनों के हितों की रक्षा करने का इरादा था और तदनुसार गुण-दोष के आधार पर अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

(7) रिट याचिका में देरी और देरी के पहलुओं और विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों के संदर्भ में, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उस स्पष्टीकरण का संदर्भ दिया गया है जो अपीलकर्ता ने अपनी रिट याचिका में प्रस्तुत किया है। यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की ओर से निष्क्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सुस्ती और अनिश्चितता को दर्शाता है। अपीलकर्ता की सहायता करने वाले कानूनी अधिकारियों की टीम के साथ, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और दलील को विद्वान एकल न्यायाधीश ने देरी और विलंब के आधार पर रिट याचिका को खारिज करते हुए स्वीकार

नहीं किया है, जो उचित है। जब चुनौती दी गई तो दिनांक 10.09.2014 को पारित आदेश को पारित हुए तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। इस प्रकार रिट कोर्ट में जाने में देरी के पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की गई है। अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी है.

(8) हमने पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सहायता से, दलीलों, मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को भी देखा है।

(9) तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने के क्रम में तथ्य यह है कि 15.09.1976 को कबीर एजुकेशन सोसाइटी को शामिल किया गया था और एसोसिएशन के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पंजीकृत किया गया था। एसोसिएशन का ज्ञापन इस प्रकार है:-

"एसोसिएशन का ज्ञापन

'कबीर एजुकेशनल सोसायटी'

1. नाम: सोसायटी का नाम "द कबीर एजुकेशनल सोसायटी" होगा। मुख्य पंजीकृत कार्यालय: सोसायटी का कार्यालय नंबर 1, सेक्टर 8ए, चंडीगढ़ में होगा। संचालन का क्षेत्र: चंडीगढ़ और भारत।

2. सोसायटी के उद्देश्य: जिन उद्देश्यों के लिए सोसायटी की स्थापना की गई है वे हैं:

(i) सभी रूपों में ज्ञान और शिक्षा की उन्नति।

(ii) सहायता के रूप में ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से चंडीगढ़ और आम तौर पर पूरे भारत में पब्लिक स्कूलों का प्रबंधन।

(ए) बच्चों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक और सामान्य विकास।

(बी) बच्चों में जीवन के उच्च मूल्यों, जैसे अच्छे चरित्र, विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता, अनुशासन, **एकजूटता, मिलनसार,** सेवा की भावना और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देना,

(सी) बड़े पैमाने पर राष्ट्र, देश और मानवता की सेवा के लिए सिखाए गए लोगों को प्रशिक्षण और तैयार करना।

(डी) देश की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए कला सेवा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

(iii)योग्य बच्चों को विद्वान उपलब्ध कराने के उपाय करना।

(iv) संपत्ति को किराए पर लेना, खरीदना, अर्जित करना, रखना और निपटान करना और आम तौर पर ऐसे सभी काम करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(v) सोसायटी कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं होगी। इसकी आय और संपत्ति का उपयोग सोसायटी की उपरोक्त वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए सख्ती से किया जाएगा। किसी भी सदस्य को लाभ से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा।

3. आगामी उद्देश्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उन्हें पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, समाज के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, प्राप्त करने, रखने, प्रबंधन करने, निपटान करने या किसी की संपत्ति से निपटने की शक्ति होगी। सोसायटी से संबंधित प्रकार, किसी भी व्यक्ति के लिए और उसके संबंध में ऐसे तरीकों से अनुबंध करना जो सोसायटी के लाभ के लिए उपयुक्त समझा जा सके।

4. शासी परिषद:

सोसायटी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय, जिनके प्रबंधन और उसके मामले नियमों और विनियमों के तहत हकदार हैं, इस प्रकार हैं: -

1. अध्यक्ष: श्री जे.पी. सिंह, 1/8-ए, चंडीगढ़

2. सचिव: श्रीमती संतोष जे.पी. जिंगह

3. सदस्य: श्रीमती सुरिंदर चोपड़ा।

1270, 8-सी, चंडीगढ़।

5. श्री जे.पी.सिंह पेशे से एक प्रख्यात शिक्षाविद् हैं और उन्हें पब्लिक स्कूलों के प्रचार-प्रसार का काफी अनुभव है। वस्तुतः वे ही इस समाज के निर्माण के विचार के प्रवर्तक हैं। इसे देखते हुए, वह अपने जीवन काल के दौरान सोसायटी के अध्यक्ष रहेंगे और सोसायटी और स्कूल के मामलों के प्रबंधन के संबंध में उनकी सलाह का हमेशा पालन किया जाएगा।

श्री जे.पी. सिंह के बाद श्रीमती संतोष जे.पी. सिंह, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, अपने जीवनकाल में सोसायटी की अध्यक्ष होंगी।

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने उपरोक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होने के लिए एक सोसायटी बनाने का संकल्प लिया है।

1.	श्री जे.पी. सिंह	मकान नं.741, 8 बी, चंडीगढ़। शिक्षाविद्
2.	श्रीमती संतोष जे.पी. सिंह	मकान नं.741, 8 बी, चंडीगढ़। शिक्षाविद्
3.	श्रीमती सुइन्दर चोपड़ा	एच.नं. 1270, 8 सी, चंडीगढ़। गृहिणी
4.	श्री जोगिंदर सिंह	एच.नं. 1270, क्रेता एवं भण्डार

	चोपड़ा	8 सी, चंडीगढ़।	नियंत्रक भिलाई, (म.प्र.)
5.	कंवर जसबीर सिंह	एच.नं.1,8-ए, चंडीगढ़।	व्यापार
6.	श्रीमती परदुमन कौर	एच.नं.1,8-ए, चंडीगढ़।	गृहिणी
7.	अमरजीत सिंह कपूर	एच.नं.1,8-ए, चंडीगढ़।	सेवा कार्मिक अधिकारी, भिलाई, (म.प्र.)

चंडीगढ़ दिनांक15.09.1976
एएसएसएच: संपदा अधिकारी
यू.टी. चंडीगढ़

(10) एसोसिएशन के इस ज्ञापन के अनुसरण में, प्रतिवादी-समाज द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को स्कूल के लिए एक साइट के आवंटन के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और 13.10.1988 (अनुलग्नक पी-1), संपदा अधिकारी, संघ टेरिटरी चंडीगढ़ को एक स्कूल के निर्माण के लिए 99 साल के लिए लीजहोल्ड के आधार पर एक भूखंड आवंटित किया गया, जो उसमें निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन है। आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों में, पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के नियमों के अलावा प्रावधानों और उसके तहत नियम बनाए गए। चंडीगढ़ लीज- साइट्स और बिल्डिंग के नियमों को पट्टेदार पर बाध्यकारी बना दिया गया था,

यह एक और शर्त थी जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक होगी, जो इस प्रकार है: -

> "संस्थान में प्रवेश उन निर्देशों/निर्देशों के अधीन होगा जो निदेशक सार्वजनिक निर्देश (स्कूल/कॉलेज), चंडीगढ़ समय-समय पर जारी कर सकते हैं।"

(11) प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल ने इन नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और शैक्षणिक सत्र 1991 से निर्मित भवन से कार्य करना शुरू कर दिया। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रतिवादी-समाज को एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में शामिल किया गया था इकाई जो समाज की वस्तुओं से स्पष्ट है जैसा कि ऊपर दिए गए एसोसिएशन के ज्ञापन में बताया गया है। एक स्पष्ट पहलू जिसे यहां और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इसे न तो किसी धर्म या भाषा से संबंधित अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और न ही इसका उद्देश्य उन उद्देश्यों के लिए था जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत प्रदान किया गया है, जो संबंधित है। अल्पसंख्यक द्वारा किसी संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। यह भी नहीं बताया गया है कि उक्त सोसायटी की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गयी है.

(12) 24.12.1994 को, एसोसिएशन के ज्ञापन में पहली बार संशोधन किया गया और सोसायटी की वस्तुओं में एक परिचयात्मक पैराग्राफ डाला गया जो इस प्रकार है: -

> "2. सोसायटी के उद्देश्य:-

जिन उद्देश्यों के लिए सोसायटी की स्थापना की गई है वे हैं: कबीर एजुकेशनल सोसायटी मूल रूप से अल्पसंख्यकों का एक संगठन है और इसकी कार्यात्मक शाखा सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, चंडीगढ़ है, जहां पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति, पैगम्बरों और गुरुओं का इतिहास सर्वोच्च प्राथमिकता पर पढ़ाया जाता है। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) पर आधारित है। लेकिन, स्कूल में प्रवेश जाति, पंथ, समुदाय और धर्म के बावजूद सभी के लिए खुला होगा। सभी धर्मों का पूरा सम्मान किया जाएगा। समाज की यह अवधारणा महान **सूफी** संत कबीर के सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष दर्शन पर आधारित है।

समाज की शेष वस्तुएँ यथावत रहीं।

(13) 31.01.1996 को (अनुलग्नक पी-3), चंडीगढ़ प्रशासन ने एक योजना अधिसूचित की जिसे 'चंडीगढ़ योजना 1996 में लीज-होल्ड आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) आदि को भूमि का आवंटन' के रूप में जाना जाता है। शर्त संख्या 18 (ii) शैक्षिक समितियों/संस्थानों (स्कूलों)/ट्रस्टों को समाज **के** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए स्कूलों में समय-समय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित 15% या अधिक सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। उक्त शर्त इस प्रकार है:-

"18. शैक्षिक सोसायटी/संस्थान (स्कूल)/ट्रस्टों को निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

बी. XXXX XXXX XXX

सी. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए स्कूलों में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित 15% या अधिक सीटें आरक्षित करना और उन छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क नाममात्र होगा, अधिमानतः वही होगा जो सरकारी संस्थानों के छात्र" **से** लिया जाता है।

(14) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग अधिनियम, 2004 (2004 अधिनियम) 06.04.2005 को लागू हुआ, जो अल्पसंख्यक संस्थानों से संबंधित पहलुओं और अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता/घोषणा से संबंधित है।

(15) 29.07.2005 को (अनुलग्नक पी-4) पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 अधिनियम) की धारा 3 और धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इसमें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक की ओर से, चंडीगढ़ योजना 1996 में लीजहोल्ड आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) आदि को भूमि आवंटन में कुछ संशोधन किए गए। मूल योजना के पैरा 18 से संबंधित इस संशोधन का खंड 8 इस प्रकार है। :-

"(i) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए स्कूलों में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली 15% या अधिक सीटें आरक्षित करें और उन छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क नाममात्र का हो, अधिमानतः उतना ही जितना कि है एक सरकारी संस्थान के छात्रों से शुल्क लिया जाता है। बशर्ते

कि यदि कुछ कारणों से स्कूल किसी शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित इन 15% सीटों को भरने में असमर्थ हैं, तो इसे चंडीगढ़ प्रशासन के ध्यान में लाया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी की सहमति कारणों के साथ प्राप्त की जाएगी। उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए इस आरक्षण को कम करने/माफ़ करने के लिए लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए"

(16) 19.02.2016 (अनुलग्नक पी-6) को, चंडीगढ़ प्रशासन, शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व कार्यालय आदेश दिनांक 12.09.2006 (अनुलग्नक पी-5) में आंशिक संशोधन करते हुए, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 और 12 (बी) के तहत, यू.टी. चंडीगढ़ में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया। जिसके अनुसार निदेशक उच्च शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन को 10 + 2 स्तर से ऊपर की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन **को**, उन संस्थानों के संबंध में जो 10+2 स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं। **सक्षम प्राधिकारी के रूप में** नियुक्त किया गया था वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए, निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन 2004 अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी होगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल 10 + 2 स्तर तक शिक्षा प्रदान कर रहा है।

(17) प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से संसद द्वारा शिक्षा अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया था

और इसे प्राप्त करने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों और वंचितों पर विशेष जोर दिया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाए, केंद्र और राज्य सरकार को पर्यवेक्षी शक्तियों सहित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गईं। इस अधिनियम को स्कूलों/संस्थाओं/ट्रस्ट द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी।

(18) जब मामला न्यायालयों के समक्ष लंबित था, तो प्रतिवादी नंबर 3- स्कूल ने आवेदन किया और 22.02.2011 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्धता प्रदान की गई (अनुलग्नक पी-7)। उक्त संबद्धता पत्र के खंड 19 में एक शर्त निर्दिष्ट की गई है कि स्कूल में प्रवेश धर्म, जाति या नस्ल या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुला होगा। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्कूल एक सिख अल्पसंख्यक संस्थान है और न ही यह उल्लेख किया गया था कि प्रचार-प्रसार के लिए कोई विशेष व्याख्यान या विशिष्ट पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। और सिख संस्कृति और सिख समुदाय के हितों का संरक्षण करना। स्कूल ने संबद्धता के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(19) शिक्षा अधिनियम, 2009 को चुनौती अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची, जहां राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य पर 12.04.2012 को निर्णय आया। शिक्षा अधिनियम, 2009 को इस शर्त के साथ संवैधानिक रूप से वैध माना गया था कि भारत

के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के दायरे में आने वाले गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल उक्त अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि वे उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे।

(20) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के मामले (सुप्रा) में फैसला सुनाए जाने के बाद और शिक्षा अधिनियम, 2009 की प्रयोज्यता से बाहर आने के इरादे से, एक आवेदन दायर किया गया था। अल्पसंख्यक दर्जा देने और उक्त आशय की घोषणा के लिए एनसीएमईआई- प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल द्वारा 07.05.2012 को दायर किया गया (अनुलग्नक पी-8)। उक्त आवेदन के साथ सेंट कबीर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सम तिथि का शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था. इस हलफनामे में पहली बार कहा गया कि सोसायटी में सिख समुदाय के सदस्य शामिल हैं और इसका प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है। यह स्कूल सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इन हलफनामों में भी यह कहीं नहीं कहा गया है कि सोसायटी की स्थापना सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए सिख धर्म और पंजाबी भाषा का प्रचार करने के इरादे से की गई थी।

(21) एनसीएमईआई-प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष आवेदन के लंबित रहने के दौरान, 31.01.2013 को पूर्व संशोधन को हटाकर, प्रतिवादी-समाज द्वारा समाज की प्रस्तावना और वस्तुओं से संबंधित एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन किया गया था।

सोसायटी के उद्देश्यों में 24.12.1994 को किया गया था, जो संशोधन इस प्रकार है:-

"समाज की प्रस्तावना और उद्देश्य"

2.(ए) कबीर एजुकेशनल सोसाइटी अनिवार्य रूप से और मूल रूप से चंडीगढ़ में सिख अल्पसंख्यक समुदाय का एक संगठन है और सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, (एक गैर सहायता प्राप्त स्कूल), चंडीगढ़ इसकी कार्यात्मक शाखा है, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उत्कृष्ट दर्शन, सिख गुरुओं की शिक्षाएं, सिख संस्कृति और सिख इतिहास पढ़ाया जाता है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार) पर आधारित है।

(बी) लेकिन, अन्य समुदायों के सदस्यों को स्कूल में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।

(सी) सोसायटी मुख्य रूप से सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों और लड़कियों के हितों की रक्षा करेगी।

(22) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि पहली बार सोसायटी ने अपने उद्देश्यों में उल्लेख किया है कि वह मुख्य रूप से सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के और लड़कियों के हितों की रक्षा करेगी। 25.03.2013 (अनुलग्नक पी-11) को, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने एनसीएमईआई के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया और उसके जवाब में, दिनांक 11.04.2013 की प्रतिकृति के साथ अतिरिक्त हलफनामा (अनुलग्नक पी-12) एनसीएमईआई के समक्ष दायर किया गया। इस हलफनामे में, यह

स्वीकार किया गया कि एसोसिएशन के ज्ञापन को समाज के अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है और प्रत्युत्तर में, यह स्वीकार किया गया कि एसोसिएशन के ज्ञापन में इस तरह से संशोधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की मांग **का** लाभ मिलेगा इन दलीलों के आधार पर ही एनसीएमईआई द्वारा दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) का विवादित आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के आवेदन की अनुमति दी गई थी और इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था।

(23) जब एनसीएमईआई-प्रतिवादी नंबर 1 के आदेश के अनुसरण में उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में प्रक्रिया पर काम किया जा रहा था, तो प्रतिवादी नंबर-3- स्कूल पर अपीलकर्ता द्वारा 26.08.2015 को गैर-अनुपालन के लिए, बल्कि 1996 की योजना के तहत आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-15) दिया गया था। चंडीगढ़ लीजहोल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स, 1973 (इसके बाद '1973 रूल्स' के रूप में संदर्भित) के नियम XX के तहत, जिसके तहत निदेशक लोक निर्देश (स्कूल) के दिनांक 19.09.2014 के निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से 15% सीटें आरक्षित और भरी जानी थीं। अपीलकर्ता के रुख के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल का प्रतिनिधि संपदा अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ के समक्ष 15.10.2015 को (अनुलग्नक पी-16) उपस्थित हुआ और एक बयान दिया कि स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है और उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा से छूट दी गई है, हालांकि, वे शर्त के

अनुसार डीपीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। आवंटन पत्र का, जिस पहलू पर इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल द्वारा विवाद किया गया है, बल्कि स्कूल प्रतिवादी नंबर 1 का रुख यह है कि उन्होंने 26.08.2015 के उक्त कारण बताओ नोटिस के खिलाफ एक आवेदन के माध्यम से एनसीएमईआई से संपर्क किया था, जिस पर विचार किया गया था और अपीलकर्ता को 15.03.2016 को नोटिस जारी किया गया। यूटी चंडीगढ़ की ओर से 07.12.2016 को एनसीएमईआई-प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष जवाब दाखिल किया गया में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल पर शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के जो आवश्यकता लगाई गई है वह साथ-साथ आवंटन पत्र दिनांक 13.10.1988 के नियमों और शर्तों के अनुसार है। प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई ने दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नक पी-18) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया, जिसे अपीलकर्ता ने 16.02.2018 को दायर 2018 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4211 के माध्यम से चुनौती दी है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.03.2020 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील दायर की गई है।

(24) पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर सबसे पहले विचार करने की आवश्यकता है, वह एक रिट याचिका के माध्यम से दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) के आदेश को चुनौती देने में देरी के संबंध में याचिका है, जिसे फरवरी 2018 **में** दायर किया गया था। जिस पर प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बड़े जोर-शोर से जोर दिया है। तथ्यों और दलीलों का

हवाला देते हुए, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को चुनौती देने में लगभग 3 साल और 5 महीने की देरी हुई है, जो कि 14.03.2017 के बाद के आदेश को पारित करने का आधार है (अनुलग्नक) पी-18). उनका तर्क है कि जब तक दिनांक 10.09.2014 का आदेश उस क्षेत्र को बरकरार रखता है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का प्रभाव है, तब तक 14.03.2017 के बाद के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान है, तो शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसलिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए सीटों के आरक्षण के लिए स्कूल को बाध्य करने वाला कोई शासनादेश नहीं हो सकता है। वह पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य अन्य के अलावा, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। जहां ऐसा माना गया है। मप्र राज्य बनाम भाईलाल भाई और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य और कुछ अन्य मामलों में देरी पर मामले की सुनवाई नहीं होने के सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है ।

(25) दूसरी ओर, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील ने तर्क दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, उन्होंने रिट याचिका में दलीलों के आधार पर रिट याचिका दायर करने में देरी और उसे प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए प्रयासों और कदमों के बारे में बताया है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने श्रीमती सुदामा देवी बनाम आयुक्त और अन्य

के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताकर तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी कानून द्वारा कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ यह निर्धारित करेंगी कि अपीलकर्ता लापरवाही का दोषी है या नहीं। देरी के सवाल पर याचिका को खारिज करने के संबंध में तथ्य न केवल उस अवधि पर निर्भर करेगा जो अदालत से संपर्क करने के लिए ली गई है, बल्कि आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के संबंध में कारण और पहलू पर निर्भर करेगा, जिससे यह अदालत पर निर्भर हो सके। प्रदत्त शक्तियां जो कि उच्च न्यायालय का विवेकाधीन और माना जाने वाला विकल्प है। रामचन्द्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भी भरोसा किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जिस बात पर जोर दिया है वह यह है कि जहां उस प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जा रही है जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है, अदालत ऐसी रिट याचिका पर विचार करने के लिए खुली होगी जब यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसा आवेदन/याचिका का मनोरंजन उक्त प्राधिकारी की वैधानिक शक्तियों से परे है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि यह निष्कर्ष निकाला है कि देरी और देरी का मामला उत्तरदाताओं नंबर 2 से 4 के पक्ष में माना जाना चाहिए, लेकिन विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इसमें शामिल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति को मान्यता देते हुए और उसका प्रयोग करते हुए गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लिया था। इसलिए, उनका

तर्क है कि रिट याचिका को देरी और देरी के आधार पर खारिज नहीं किया गया है, बल्कि अदालत ने गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लिया है और इसलिए, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की देरी और लापरवाही के आधार पर याचिका और प्रस्तुतिकरण को **स्वीकार** नहीं किया जा सकता है।

(26) पक्षों के वकील की दलीलों पर विचार करने और दलीलों पर गौर करने पर, अदालत में आने में देरी के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं होने पर भी काफी उचित प्रतीत होता है। यहां इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि केवल देरी के सवाल पर, एक रिट कोर्ट याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य या अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि रिट पर विचार करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है और न ही गैर-कानूनी मामलों के लिए कोई नियम या वैधानिक प्रावधान उपलब्ध हैं। एक विशेष अवधि की सीमा के बाद रिट याचिका पर विचार करना हमारे संज्ञान में लाया गया। दूसरे शब्दों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से न्यायालय से संपर्क करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। हालाँकि, यहां यह बताया जा सकता है कि देरी भले ही पर्याप्त क्यों न हो, अगर उचित कारणों से समझाया जाए और जहां रिट कोर्ट प्रथम दृष्टया पाता है कि रिट याचिका पर विचार न करने से अवैधता हो जाएगी या इससे अनुचित लाभ मिलेगा। पक्ष, उच्च न्यायालय ऐसी रिट याचिका पर विचार करने के लिए अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से नहीं कतराएगा। वर्तमान ऐसे मामलों में से एक है, जहां विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इसे

एक ऐसा मामला पाया है, जिस पर सार्वजनिक हित शामिल होने के कारण गुण-दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है।

(27) मौजूदा मामले में, एनसीएमईआई-प्रतिवादी नंबर 1 की क्षमता और अधिकार क्षेत्र को 2004 अधिनियम की धारा 11 के तहत पसंदीदा आवेदन पर विचार करने के लिए चुनौती दी जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि एक संस्था जिसने पहली बार खुद को दावा किया है एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के **बावजूद** धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित **है**, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, धारा 10 के तहत एक आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक था, जो इस मामले में निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ होगा। 19.02.2016 को जारी अधिसूचना (अनुलग्नक पी-6) के अनुसार प्रशासन, जबकि धारा 11 के तहत आवेदन पर एनसीएमईआई द्वारा विचार किया गया है, जिसमें स्वीकृत स्थिति के अनुसार पहली बार, प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने स्वीकार किया है कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान के दायरे में लाने के लिए 2004 अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन किया गया है ताकि इसे एनसीएमईआई द्वारा घोषित किया जा सके। दलीलों में यह स्थिति होने के कारण, हमारा मानना है कि रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक था और इसे केवल देरी के आधार पर खारिज करने की आवश्यकता नहीं थी। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि न केवल दिनांक 10.09.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी-13) को चुनौती दी गई थी, बल्कि एनसीएमईआई द्वारा दिनांक 26.08.2015 के कारण बताओ नोटिस को रद्द करते हुए दिनांक 14.03.2017 के

बाद के आदेश (अनुलग्नक पी-18) को भी चुनौती दी गई थी। 16.02.2018 को चुनौती दी गई थी, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर थी। इसलिए, किसी भी मामले में रिट याचिका को केवल देरी के सवाल पर खारिज नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार देरी और देरी पर रिट याचिका को खारिज करने के सवाल पर उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील की दलील को खारिज कर दिया गया है।

(28) जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है और जिसका वर्तमान अपील के परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 3- स्कूल की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किया गया था। अल्पसंख्यक समुदाय (सिख); इसके साथ प्रतिवादी संख्या 1-एनसीएमईआई द्वारा पारित आदेशों पर इस प्रश्न के उत्तर के परिणाम जुड़े होंगे।

(29) एक और स्थिति और परिणामी आकस्मिकता है जिससे आगे निपटने की आवश्यकता है यानी यदि कोई निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान है जहां प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई के पास मनोरंजन का अधिकार क्षेत्र और अधिकार है। धारा 11 के तहत एक आवेदन जहां पहली बार, प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित और प्रशासित होने का दावा किया है और प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई ने अनिवार्य 2004 अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित किया है।

(30) इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए कि क्या प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान है या

नहीं, पहले अनुच्छेद 30(1) के तहत संविधान द्वारा निर्धारित विशेषताओं और अनिवार्यताओं को देखना और निर्धारित करना आवश्यक होगा। , जिसके लिए उसका संदर्भ आवश्यक है, वह इस प्रकार है:-

> **"30. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार।-**
>
> (1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
>
> (1ए) XXXX XXXX XXXX"

(31) विभिन्न निर्णय जिन पर हमारे समक्ष पक्षकारों के वकील द्वारा भरोसा किया गया है, उन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी संदर्भित किया गया है और चुनौती के तहत निर्णय में, संबंधित भागों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है और इससे निपटा गया है। अल्पसंख्यकों के लिए और उसके रूप में इस अनुच्छेद की सुरक्षा प्राप्त करने और इसके हकदार होने के लिए आवश्यकताएँ और आवश्यक बातें भी।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957[11] में, सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अल्पसंख्यक का निर्धारण किसी विशेष राज्य की जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना है। आगे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और उनकी पसंद से प्रशासित किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देता है, जिसका

अर्थ है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा और ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर कोई सीमा नहीं रखी जा सकती है।

केरल राज्य आदि बनाम **वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल आदि**[12] में, छह न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) से मिलने वाला पहला अधिकार अल्पसंख्यकों की पसंद की संस्था स्थापित करने का प्रारंभिक अधिकार है। यानी एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक संस्था को इस शर्त के साथ अस्तित्व में लाना कि उसे अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए एक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा अधिकार ऐसी संस्था के प्रशासन का होगा जिसका अर्थ है संस्था के मामलों का प्रबंधन और यह संस्थापकों या नामांकित व्यक्तियों के लिए खुला होगा कि वे संस्था को जैसा चाहें वैसा ढालें। इस प्रकार, इसका मतलब यह होगा कि अल्पसंख्यकों को न केवल एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहिए बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए भी होना चाहिए।

सेंट स्टीफंस कॉलेज आदि बनाम **दिल्ली विश्वविद्यालय आदि**[13] में, यह माना गया है कि अल्पसंख्यक द्वारा संस्थान की स्थापना का प्रमाण होना चाहिए जो संस्थान के प्रशासन के अधिकार का दावा करने से पहले होना चाहिए।

एस अज़ीज़ बाशा और अन्य बनाम **भारत संघ आदि**[14] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) से निपटते समय माना कि यह मानता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

अपनी पसंद की संस्था, जिसका अर्थ यह है कि जहां धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करता है, उसे उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि एक संस्था जिसकी स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं की गई है, लेकिन यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, उस संस्था को अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, तो वह इसे संविधान **के** अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान नहीं बनाएगा। इस बात पर जोर दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करने का अधिकार होगा, बशर्ते उन्होंने इसे स्थापित किया हो, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद में 'स्थापित करें और प्रशासन करें' शब्दों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए यह अल्पसंख्यक को एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि यह उसके द्वारा स्थापित किया गया हो। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत इसे प्रशासित करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

(32) ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य 15 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि सरकार, विश्वविद्यालय और अंततः न्यायालय को अल्पसंख्यक पर्दे को भेदने और यह पता लगाने का अधिकार है कि क्या यह वास्तव में अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, बल्कि सभी

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सक्षम बनाता है। उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का संचालन करें। ये संस्थाएं सच्चाई और वास्तविकता में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्था होनी चाहिए, न कि केवल छद्म दिखावा। जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य है वह यह है कि संस्थान को अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाने जाने में सक्षम बनाने के लिए कुछ वास्तविक सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए। केवल एसोसिएशन के लेखों या ज्ञापन या सोसायटी के उद्देश्यों में इसका उल्लेख करना कि यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, स्वीकार्य नहीं होगा।

(33) पूर्वगामी निर्णयों से जो कानूनी स्थिति उत्पन्न होती है वह यह है कि केवल इसलिए कि प्रवेश सभी धर्मों के लिए खुला है या कि शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जा रही है, संस्थान को उसके अधिकार से वंचित नहीं करेगा। एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में. हालाँकि, अनुच्छेद 30 (1) की आवश्यकता केवल तभी पूरी होगी जहां कोई संस्था अल्पसंख्यक द्वारा, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित की गई हो। इस प्राथमिक आवश्यकता के पूरा होने के बाद, तभी संस्थान के प्रशासन और प्रबंधन को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संविधान के अनुच्छेद 30(1) से मिलने वाले संचालन और संरक्षण से अछूता रखा जाना चाहिए।

(34) जैसा कि ऊपर कानूनी स्थिति बताई गई है, अब उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने का समय आ गया है।

संक्षिप्तता के उद्देश्य से, एसोसिएशन के मूल ज्ञापन और प्रतिवादी-समाज द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के संबंध में सामग्री को यहां विस्तृत नहीं किया जा रहा है, सिवाय इसके कि एसोसिएशन के प्रारंभिक ज्ञापन दिनांक 15.09.1976 के अनुसार जब सोसायटी की स्थापना और पंजीकरण किया गया था, इसके लक्ष्य और उद्देश्य प्रकृति में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे और इसकी स्थापना या प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यक पहलू से कोई संबंध नहीं था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ शामिल थे। प्रतिवादी-समाज द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर भूखण्ड का आवंटन 13.10.1988 को हुआ। भवन के निर्माण के साथ, संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 1991-1992 से अपना कामकाज शुरू कर दिया।

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला संशोधन 24.12.1994 को किया गया, जहां इसे अल्पसंख्यकों का संगठन कहा गया है। इसमें स्थापित सदस्यों के सिख समुदाय के होने के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उक्त समुदाय को कोई विशेष लाभ देने के संबंध में कुछ भी प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसका उद्देश्य सिख समुदाय के लाभ के लिए नहीं था।

22.02.2011 को सीबीएसई द्वारा प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल को संबद्धता पत्र जारी किया गया था, जहां संबद्धता के लिए प्रस्तुत आवेदन में उक्त स्कूल के अल्पसंख्यक संस्थान होने के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है और न ही कोई उल्लेख है सिख समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित करने के संबंध में। एक शर्त कि स्कूल में प्रवेश धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी

भेदभाव के सभी के लिए खुला होगा, जैसा कि शर्तों में निर्दिष्ट है, प्रतिवादी-समाज और स्कूल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

(35) बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसे विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अंतिम रूप से बरकरार रखा। 12.04.2012 को **राजस्थान का मामला (सुप्रा)** इस शर्त के साथ कि इस अधिनियम का संचालन और प्रयोज्यता संविधान के अनुच्छेद 30 (1) की छत्रछाया में आने वाले गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों तक विस्तारित नहीं होगी या दूसरे शब्दों में, ये अल्पसंख्यक स्कूल थे शिक्षा अधिनियम, 2009 के दायरे से बाहर रखा गया। इसके बाद, पहली बार, प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने, शिक्षा अधिनियम, 2009 की कठोरता और प्रयोज्यता से बाहर आने के लिए एक आवेदन दायर किया। अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए एनसीएमईआई के समक्ष 07.05.2012 को आवेदन किया गया था, जिसके साथ सोसायटी के अध्यक्ष का एक हलफनामा भी दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उक्त सोसायटी में सिख समुदाय के सदस्य शामिल हैं और स्कूल का प्रबंधन कर रहे हैं। यह स्कूल सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। यह पहली बार है कि इस तरह का दावा पेश किया गया है, लेकिन यहां जो गायब है वह यह तथ्य है कि उक्त संस्थान की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी। जो कहा गया वह यह था कि समाज के लोग सिख समुदाय के हैं। समाज अथवा संस्था की स्थापना के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

(36) फिर अगला चरण आता है जहां एनसीएमईआई के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन किया जाता है और सोसायटी के उद्देश्यों की प्रस्तावना 31.01.2013 को पेश की जाती है। वहां पहली बार यह उल्लेख किया गया है कि सोसायटी मुख्य रूप से सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के और लड़कियों के हितों की रक्षा करेगी, लेकिन यहां फिर से अल्पसंख्यक द्वारा संस्था की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण पहलू गायब है। इस कमी को अंततः दिनांक 11.04.2013 के एक अतिरिक्त हलफनामे (अनुलग्नक पी-12) के माध्यम से भरने की मांग की गई है, जो प्रतिकृति के साथ दायर किया गया है, जिसमें पहली बार, यह उल्लेख किया गया है कि एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन किया गया है और उसमें प्रतिवादी (अब अपीलकर्ता) द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दिया गया।

इस स्तर पर जिस बिंदु पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि 11.09.2013 को प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल की ओर से दायर प्रत्युत्तर में, यह स्वीकार किया गया है कि एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन किया गया है। दावे को 2004 अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए एनसीएमईआई ताकि अल्पसंख्यक संस्थान घोषित होने का लाभ मिल सके।

(37) 2004 अधिनियम की आवश्यकता के साथ समय-समय पर एसोसिएशन के ज्ञापन में किए गए संशोधनों के संबंध में उपरोक्त घटनाओं का क्रम, यह स्पष्ट करता है कि समाज न तो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया एक के रूप में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान था, न ही इसका गठन अल्पसंख्यक समुदाय यानी सिखों के लाभ के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद

30(1) का आदेश पूरा नहीं होने के कारण इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता।

(38) यदि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, तो 2004 अधिनियम की धारा 11 के तहत एनसीएमईआई द्वारा इस आशय की घोषणा जारी नहीं की जा सकती थी। धारा 11 आयोग के कार्य और शक्तियों, विशेष रूप से उसके खंड (एफ) से संबंधित है। इसके अनुसार, एनसीएमईआई किसी भी संस्थान की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय ले सकता है और उसकी स्थिति की घोषणा कर सकता है।

इस संबंध में शासी धारा जो एनसीएमईआई को ऐसी घोषणा जारी करने के लिए मार्गदर्शन करेगी वह धारा 2 (जी) होगी जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को परिभाषित करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "धारा 2 परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
>
> XXXX XXXX XXXX
>
> (g) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का अर्थ है अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित एक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान।

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को इस तरह घोषित करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इसे अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और

अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए और इसलिए, पैरामीटर होंगे जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत निर्धारित किया गया है, अर्थात 'स्थापित और प्रशासित' शब्दों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों में कहा है। चूंकि प्रतिवादी यह नहीं दिखा सका कि जिस समय सोसायटी अस्तित्व में आई, उस समय इसे अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था और न ही यह कहा गया और दावा किया गया कि सोसायटी/स्कूल की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा और अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए की गई थी। (सिख) जैसा कि एसोसिएशन के मूल ज्ञापन और उसके बाद के संशोधनों से स्पष्ट है, प्रतिवादी नंबर 2-सोसाइटी और प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं कहा जा सकता है।

(39) यहां यह इंगित करने की आवश्यकता है कि एनसीएमईआई ने क़ानून के आदेश की पूर्ति के संबंध में पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। एक घोषणा केवल एक स्थापित अधिकार की होती है जिसे दुर्भाग्य से प्रतिवादी-समाज और प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका। इसलिए, जो आवश्यक था, वह यह था कि 2004 अधिनियम की धारा 2 (जी) में निर्धारित क़ानून के आदेश को प्रावधानों के मामले में 2004 अधिनियम में 2006 संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक था। धारा 11 को प्रभावी किया जाना था, अन्यथा

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार के संबंध में यह धारा 10 द्वारा शासित होता।

(40) इस निष्कर्ष के लिए, हम सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी केस (सुप्रा) में फैसले के अनुपात पर निर्भर हैं, जिसमें यह माना गया है कि संशोधन अधिनियम 2006 के बाद एक नए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए सभी आवेदन को क़ानून के तहत स्थापित करने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी के पास जाना होगा जिसके लिए आवेदन 2004 अधिनियम की धारा 10 के तहत होगा, लेकिन स्थापना के बाद किसी भी चरण में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थिति की घोषणा के लिए, एनसीएमईआई के पास शक्ति होगी **कि** प्रश्न का निर्णय करें और ऐसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा घोषित करें।

(41) सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 अधिनियम के प्रावधानों और एनसीएमईआई की शक्तियों से निपटने के दौरान किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि एक संस्था जिसने उक्त समुदाय के लाभ के लिए अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित नहीं किया गया है, वह बाद में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने का हकदार होगा। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कहा गया है वह यह है कि धारा 10 (1) 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा 2004 में संशोधन के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए आवेदनों से संबंधित है, जहां इसके बाद, इस प्रकार दायर किए गए आवेदन केवल क़ानून के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए, जबकि दूसरी ओर, स्थापना के बाद किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

के रूप में अपनी स्थिति की घोषणा के लिए। जहां तक एनसीएमईआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का सवाल है, तो यह कहा गया कि उसके पास स्थिति से संबंधित प्रश्न तय करने और 2004 अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा घोषित करने की शक्ति होगी। एक और टिप्पणी की गई है कि मौलिक अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता है।

(42) इस मामले में, प्रतिवादी-समाज और स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में घोषणा के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान पहली बार दावा किया कि समाज के संस्थापक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय (सिख) से थे और यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने मामले को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में क़ानून के दायरे में लाने के लिए हलफनामा दायर किया था। एसोसिएशन के मूल ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था और समाज को एक धर्मनिरपेक्ष इकाई घोषित किया गया था। यह किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए कभी भी स्थापित नहीं किया गया था और न ही इसका अल्पसंख्यक संस्थान होने का इरादा था और न ही यह दावा किया गया था कि इसे अल्पसंख्यक (सिखों) द्वारा स्थापित किया गया था। क़ानून और संवैधानिक आदेश की आवश्यकता पूरी नहीं होने पर, एनसीएमईआई द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग कानून और तथ्यों दोनों में गलत है। एनसीएमईआई द्वारा प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करना अवैध है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1-एनसीएमईआई द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) कायम नहीं रह सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(43) सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी केस (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भारी भरोसा किया गया था यह तर्क देने के लिए कि यदि कोई समाज/शैक्षणिक संस्थान

धर्मनिरपेक्ष के रूप में स्थापित किया गया है, तो भी, उसे स्थापना के बाद एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में घोषित **करना** भी गलत स्थान पर रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उक्त विवाद पर विचार नहीं किया है और इसे खुला छोड़ दिया है जैसा कि फैसले में चर्चा से स्पष्ट है। एक अन्य पहलू जो प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के दावे पर बड़ा असर डालता है, वह यह है कि जिस मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही थी, उसके तथ्य वर्तमान अपील की विषय वस्तु से भिन्न थे। . सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सोसायटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उक्त सोसायटी मुख्य रूप से कैथोलिकों के लिए बनाई/स्थापित की गई है। यह भी विवादित नहीं था कि उक्त सोसायटी की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी, जबकि वर्तमान मामले में, यह एसोसिएशन के मूल ज्ञापन में कहीं नहीं है जो भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए या प्रतिवादी नंबर 3 की स्थापना के बाद प्रस्तुत किया गया था। -प्रतिवादी-समाज द्वारा स्कूल कि शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, सिख अल्पसंख्यक के लाभ के लिए या यह अल्पसंख्यक (सिखों) द्वारा स्थापित किया गया था और न ही यह दावा किया गया था कि समाज के स्थापित सदस्य सिखों समुदाय के हैं।

(44) संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के साथ-साथ 2004 अधिनियम की धारा 2 (जी) के अनुसार, अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा 'स्थापित और प्रशासित' शब्द यह स्पष्ट करता है कि उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए **जैसे एस अज़ीज़ बाशा** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए, पहला आवश्यक घटक अल्पसंख्यकों द्वारा एक संस्था की स्थापना है, जिस पर संविधान और क़ानून में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का लाभ लेने का दावा किया जाना चाहिए। यह स्थिति, विशेष रूप से तथ्यात्मक पहलुओं पर ऊपर

वर्णित है कि यह पहली बार है कि सिख धर्म से संबंधित सदस्यों द्वारा संस्थान की स्थापना एनसीएमईआई-प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष की गई है और वह भी **के** माध्यम से सोसायटी के अध्यक्ष के दिनांक 11.04.2013 के हलफनामे **के** माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त तथ्य का उल्लेख एसोसिएशन के ज्ञापन में **या** कभी भी उक्त ज्ञापन में संशोधन के चरण में भी नहीं किया गया था जैसा कि यह मूल रूप से था।

(45) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी के मामले (सुप्रा) में इस पहलू पर जोर दिया है कि जो महत्वपूर्ण है और जो अनिवार्य है वह यह है कि किसी संस्थान को सक्षम बनाने के लिए कुछ वास्तविक सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना जाना चाहिए, जिसे ज्ञापन या एसोसिएशन के लेख या समाज के कार्यों से स्पष्ट होना चाहिए कि संस्थान का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होना था। इसलिए, किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के चरण में यह सबसे अधिक प्रासंगिक समय होगा और तब मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही निर्णायक कारक होगा। प्रतिवादी नंबर 2-सोसाइटी और प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, माना जाता है कि सोसायटी पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में स्थापित की गई थी, जिसका किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय/भाषाई अल्पसंख्यक से कोई लेना-देना या संबंध नहीं था, सिख अल्पसंख्यक समुदाय से तो दूर की बात है। . इसके बाद के चरण में यानी 24.12.1994 को पहली बार समाज की वस्तुओं में संशोधन के साथ पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति, पैगम्बरों और गुरुओं के इतिहास का परिचय दिया गया, इसके अलावा यह उल्लेख किया गया कि यह अल्पसंख्यकों का एक संगठन था। यह संशोधन 13.10.1988 को भूखण्ड के आवंटन तथा विद्यालय के निर्माण तथा शैक्षणिक संस्थान के शैक्षणिक सत्र 1991-92 से क्रियाशील

होने के बाद प्रभावी हुआ है। इसलिए, न केवल समाज की स्थापना के समय, बल्कि संस्था यानी प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल की स्थापना के समय भी, स्थापना के संबंध में किसी भी रूप में अल्पसंख्यक के दावे से कोई संबंध नहीं था। या अल्पसंख्यक के रूप में और न ही अल्पसंख्यक (सिखों) के लाभ के लिए।

(46) उपरोक्त के आलोक में, जब यह पाया गया और माना गया कि न तो प्रतिवादी संख्या 2-सोसाइटी और न ही प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान है, तो आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) प्रतिवादी संख्या 1-एनसीएमईआई द्वारा पारित कानून के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(47) अब दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नक पी-18) के आक्षेपित आदेश की ओर बढ़ते हैं, जिसे प्रतिवादी संख्या 1-एनसीएमईआई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.08.2015 (अनुलग्नक पी-15) को अलग करते हुए पारित किया गया है, जिसे 1996 की योजना के तहत आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के लिए 1973 नियमों के नियम 20 के तहत प्रतिवादी-स्कूल **को** तामील किया गया था, यह कहना पर्याप्त है कि उक्त आदेश मुख्य रूप से दिनांक 10.09.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी -13) पर आधारित है, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि 1996 की योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 15% सीटों का आरक्षण लागू नहीं होगा, टिकाऊ नहीं है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है और यह माना जाता है कि शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधान केवल अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे और चूंकि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, शिक्षा अधिनियम , 2009 लागू होगा और 2004 अधिनियम

की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-स्कूल को दिनांक 26.08.2015 का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जो प्रतिवादी-स्कूल से प्रतिक्रिया की आवश्यकता के लिए वैध होगा। हम इस पहलू पर आगे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उक्त कारण बताओ नोटिस पर गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसी भी मामले में, कारण बताओ नोटिस को रद्द करते हुए एनसीएमईआई द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नक पी-18) टिक नहीं सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(48) टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य17 और पी.ए. इनामदार और अन्य का मामला (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, जिस पर उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किया गया है, ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे अलग-अलग हैं, खासकर जब हमारे पास है यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और इसलिए, शिक्षा अधिनियम, 2009 चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं पर लागू होगा जो उन्हें सुरक्षा की छतरी और ढाल से बाहर लाएगा जिसका वे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दावा कर रहे थे।

(49) उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2020 को रद्द कर दिया गया है।

(50) इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका सफल हो जाती है। प्रतिवादी संख्या 1-एनसीएमईआई द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2014 (अनुलग्नक पी-13) और आदेश दिनांक 14.03.2017 (अनुलग्नक पी-18) को रद्द किया जाता है।

(51) प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल, यदि चाहे तो, कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.08.2015 (अनुलग्नक पी-15) का उत्तर आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दे सकता है। इसके बाद अपीलकर्ता कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

(52) अपील के निर्णय के आलोक में लंबित आवेदनों को सार्थक मानते हुए निस्तारित किया जाता है।

शुब्रीत कौर

अस्वीकरणः—स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक व अधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

शालिनी वर्मा, अनुवादक, सोनीपत।